निशुल्क प्रकाशन हेतु

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रेस विज्ञप्ति

विषय :– अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से सत्र 2013–14 हेतु छात्रवृति आवेदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा सत्र 2013–14 हेतु समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित छात्रवृति के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते है ।

क. स.	नाम छात्रवृति	महाविद्यालय/विद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	संस्था प्रधान (महाविद्यालय/विद्यालय) द्वारा निदेशालय/जिला नोडल अधिकारी को छात्रवृति आवेदन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
1.	आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति	26.07.2013 तक	31.07.2013 तक
2.	महिला योग्यता छात्रवृति	26.07.2013 तक	31.07.2013 तक
3.	उर्दू छात्रवृति	26.07.2013 तक	31.07.2013 तक
4.	राजनैतिक पीडितो/ स्वतंन्त्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृति	26.07.2013 तक	31.07.2013 तक
5.	मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृति	26.07.2013 तक	31.07.2013 तक
6.	भारत पाक व चीन युद्ध में मृतक/अपंग सैनिकों के बच्चों/उनकी विधवाओं को छात्रवृति	26.07.2013 तक	31.07.2013 तक
7.	ललित कला छात्रवृति (स्कूल ऑफ आर्टस /संगीत संस्थान)	26.07.2013 तक	31.07.2013 तक
8.	राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पृत्रियों को देय छात्रवृति	26.07.2013 तक	31.07.2013 तक
9.	कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति	26.07.2013 तक	31.07.2013 तक
10.	मिलीट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृति	26.07.2013 तक	31.07.2013 तक
11	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना (केवल राजकीय महाविद्यालय)	26.07.2013 तक	31.07.2013 तक
12	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना (अ) राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु (ब) निजी/तकनीकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु	 14.8.2013 तक 5.08.2013 तक	 19.08.2013 तक 12.08.2013 तक

उल्लेखित छात्रवृतियों से सम्बन्धित नियमों / शर्तो की पूर्ण जानकारी एवं आवेदन फॉर्म विभाग की वेबसाईट http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है । महाविद्यालय / शिक्षण संस्था/विद्यार्थी आवेदन फॉर्म डाउन लोड कर प्राप्त कर सकते है। निर्धारित आवेदन फार्म पर अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जाति, पत्र व्यवहार का पता, दूरभाष संख्या, बैंक बचत खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा का नाम, शहर, जिला, आईएफएससी कोड, आधार कार्ड नम्बर, मूल निवास स्थान, गत परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका, प्रवेश पत्र, फीस रसीद, निर्धारित प्रारूप में आय प्रमाण पत्र, 10 रूपये के नॉनज्यूडिसीयल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित प्रमाण–पत्र, राज्य सरकार / भारत सरकार से अन्य कोई छात्रवृति / प्रोत्साहन राशि

इस वर्ष प्राप्त नहीं की गई है''। सत्यापित दस्तावेज संलग्न कर शिक्षण संस्थान में निर्धारित तिथि तक जमा कराना सुनिश्चित करें ।

नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते है वे छात्रावास में प्रवेश का प्रमाण पत्र, मूल फीस रसीद, निवास करने की तिथि तथा छात्रावास वार्डन से प्रमाणित कराकर संस्था प्रधान से प्रति हस्ताक्षर कराकर संलग्न करें ।

संस्था प्रधान सम्पूर्ण आवेदन फार्म की जॉच कर लेवें कि छात्र द्वारा कोई कॉलम खाली नहीं छोडा गया है तथा अपूर्ण/मिथ्या सूचना नहीं दी गयी है । छात्र/छात्रा का फोटो तथा समस्त प्रमाण पत्रों का संस्था प्रधान द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को प्रमाणित किया जायें तथा संस्था से संबंधित समस्त कॉलम की पूतियॉ कर मय अभिशंषा प्रमाण पत्र अंकित कर अपने हस्ताक्षर मय तिथि एवं सील लगाकर कर भिजवायें ।

नवीनीकरण (Renewal) छात्रवृति फार्म उन्हीं विद्यार्थियो के अग्रेषित किये जावें जिनकों गत वर्ष नूतन (New) छात्रवृति मिली हो तथा छात्र ने पूर्णतया 50 प्रतिशत अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

आवेदक विद्यार्थी तथा शिक्षण संस्था प्रधान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि तक निदेशालय में पंहुच जाने चाहियें । निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

विशेषः— निदेशालय कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी./ अल्पसंख्यक/ निःशक्तजन छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जाती है । अतः इनके आवेदन फार्म इस विभाग में नही भिजवाये जायें ।

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ23(34) लेखा/निकाशि/छात्रवृति/ 2013—14/1300-1310 दिनांक 2/7/2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को आठ प्रतियों सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया इसका निशुल्क प्रकाशन, राजस्थान के सभी समाचार पत्रों में करवाने की व्यवस्था करावें ।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
3. निदेशक, आकाशवाणी, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रवेश नीति वर्ष 2013—14 में उक्तानुसार संशोधन कराने का श्रम करावें ।
6. संपादक, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञाप्ति के अनुसार आपके राजस्थान के समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन करावें ।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय, राजस्थान, प्राचार्य संगीत संस्थान/ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर ।
8. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को कार्यक्रम से सूचित करावें ।
9. समस्त विश्वविद्यालय राजस्थान, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, निवाई टोंक को अपने अधीनस्थ विभागों एवं महाविद्यालयों को सूचित कराने बाबत प्रेषित है ।
10. वेबसाईट अनुभाग को अपलोड करने हेतु ।

(डॉ.सी.एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृति)